भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2494

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

बच्चों के संरक्षण और पोक्सो के मामलों में कम दोषसिद्धि दर

†2494. डॉ. मल्लू रवि :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना में नागरकुरनूल सहित यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) मामलों और बाल संरक्षण मामलों में दोषसिद्धि की दर का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) नालसा (एनएएलएसए) जैसे केंद्रीय निगरानी तंत्रों या पोक्सो न्यायालयों के तहत लंबित मामलों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या अभियोजन में विलंब का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों पर विषम प्रभाव पड़ता है ;

(घ) केंद्रीय निगरानी में सुधार करने और दोषसिद्धि में तेजी लाने के लिए किन पहलों की योजना बनाई गई हैं ; और

(ङ) क्या जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर वास्तविक समय पर मामले पता लगाने पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2023 के दौरान लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण(पॉक्सो) अधिनियम के अधीन तेलंगाना राज्य में दोषसिद्धी दर 10.23% थी, जबकि उसी वर्ष के दौरान राज्य में बालकों के विरुद्ध कुल अपराधों के लिए दोषसिद्धी दर 20.61% थी । विभाग या एनसीआरबी दोषसिद्धी दर डाटा जिला-वार अनुरक्षित नहीं करते हैं ।

(ख) : त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम, जिसके अंतर्गत अनन्य रूप से पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालय भी हैं, अक्टूबर, 2019 में आरंभ किए गए थे ताकि बलात्संग तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के अधीन अपराधों से संबंधित लंबित मामलों का त्वरित विचारण तथा निपटान किया जा सके । उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, 31.12.2025 तक, 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 774 एफटीएससी कार्यात्मक हैं, जिसके अंतर्गत 398 अनन्य रूप से पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायायल हैं, जिनमें पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित 2,24,572 मामले लंबित हैं ।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करता है तथा उसकी कानूनी अनिवार्यता के अनुसरण में विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन तथा लोक अदालतों का संचालन भी करता है । चूंकि नालसा एक न्यायनिर्णायिक प्राधिकरण नहीं है, तो यह लंबित मामलों का डाटा अनुरक्षित नहीं करता है ।

(ग) : चूंकि, जाति प्रवर्ग की बजाय विचारण तथा जांच के लिए कानूनी समय-सीमा सभी के लिए एकरूप से विहित की गई है, सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित बालकों के मामले में अभियोजन में विलंब के प्रभाव से संबंधित पृथक डाटा अनुरक्षित नहीं करती है । इस संबंध में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 193(2) अनिवार्य करती है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के अधीन लैंगिक अपराधों से संबंधित मामलों में जांच दो मास की अवधि के भीतर पूर्ण की जाएगी । और, पॉक्सो अधिनियम की धारा 35(2) उपबंध करती है कि जहां तक संभव हो विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विचारण पूर्ण करेगा । तथापि, कुछ मामलों में घटकों, जैसे जांच की गुणवत्ता, तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति और उपलब्धता, न्यायालयिक सहायता और पणधारियों का सहयोग, जिसके अंतर्गत अन्वेषण अभिकरण, बार, विधिक प्रतिनिधि, साक्षी और मुवक्किल भी हैं, के कारण अभियोजन में विलंब हो सकता है ।

(घ) : एफटीएससी स्कीम के अधीन मानीटरी सुदृढ़ करने और नतीजों के सुधार के लिए, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और उच्च न्यायालयों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित पुनर्विलोकन बैठकें होती हैं। माननीय विधि और न्याय मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायाधीशों को पॉक्सो अधिनियम, 2012 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन विहित कानूनी समयसीमा का कड़ा पालन करने में जोर देने के लिए भी लिखा है । इसके अतिरिक्त, एफटीएससी का कार्य निष्पादन अंतर सरकारी समन्वयन और त्वरित न्याय परिदान के सुधार के लिए अंतर्राज्यीय जोनल परिषद की बैठकों की कार्य सूची की नियमित मद होती है । तथापि, मामले में दोषसिद्धी या दोषमुक्त होना दंड न्याय प्रणाली में बहु-अंतर संबंधी कारकों पर निर्भर करता है तथा न्यायालयों को विधि तथा उन्हें प्रस्तुत किए गए तथ्यों के अनुसरण में न्याय परिदान करना अनिवार्य है ।

(ङ) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार, लैंगिक अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ) विधि प्रवर्तन अभिकरणों को सभी स्तरों राष्ट्रीय, राज्य, जिला और पुलिस स्टेशन पर उपलब्ध एक आनलाइन मोड्यूल है । यह राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 के अधीन या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धाराओं 4,6,8 या धारा 10 के अधीन अपराधों के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 193(2) के अनुसार मामलों की वास्तविक समय मानिटरी करने के लिए अनुज्ञात करता है, जो उस तारीख से, जिस को पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी द्वारा सूचना अभिलिखित की गई थी, दो मास की अवधि के भीतर पूर्ण की जाएगी । वैसे ही, मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस), जो कि न्यायालयों में मामलों के संस्थित होने से लेकर उसके निर्णय तक की मानिटरी के लिए एक आनलाइन प्रणाली है, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन देश भर के न्यायालयों में कार्यान्वित की गई है ।

****